डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम –हिण्डौन जिला करौली

इजलास हेमराज गुर्जर, R.A.S.

उनवान

1. हीरालाल पुत्र रामचन्द जाति जाटव निवासी जाटव बस्ती हिण्डौन

2. हरीकिशन पुत्र रामचन्द जाति जाटव निवासी जाटव बस्ती हिण्डौन– मृतक

2/1. प्रकाश चन्द पुत्र हरीकिशन जाति जाटव निवासी जाटव बस्ती हिण्डौन

2/2. सुफेदी देवी बेबा हरीकिशन जाति जाटव निवासी जाटव बस्ती हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ———————— वादीगण

बनाम

1.	रामू पुत्र रामखिलाडी	सभी जातियान जाटव
2.	कल्ला पुत्र रामखिलाडी	
3.	महेन्द्र पुत्र भगवानसिंह	
4.	विजय पुत्र सोनपाल	
5.	खेमचन्द पुत्र गोविन्दा	निवासी जाटव बस्ती हिण्डौन
6.	चन्द्रभान पुत्र गोविन्दा	
7.	दीनदयाल पुत्र गोविन्दा	तहसील हिण्डौन
8.	ओमप्रकाश पुत्र चिरमोली	
9.	लक्ष्मी पुत्री चिरमोली	जिला करौली
10.	सुगरबाई पत्नी रणजीत	
11.	रूपन्ती पत्नी रणजीत	
12.	रामदयाल पुत्र लक्ष्मण	

13. तहसीलदार तहसील हिण्डौन ———————————— प्रतिवादीगण

दावा बाबत् इस्तकरारहक, इन्द्राज दुरूस्ती, तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा मुकदमा नं0 210/2012

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री रामभरोसी गोयल एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू श्री महेश पण्डा एडवोकेट मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् इस्तकरार हक, इन्द्राज दुरूस्ती, तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा विवादित आराजी खसरा नम्बर 6842 रकबा 0.02 है0, 6844 रकबा 0.25 है0, 6845 रकबा 0.14 है0, 6846 रकबा 0.20 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06.01.2026 को यह डिक्री जारी की गई।

(हेमराज गुर्जर) 6/1/26
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 210/2012 तारीख रजू:– 12.09.2012

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. हीरालाल पुत्र रामचन्द जाति जाटव निवासी जाटव बस्ती हिण्डौन

2. हरीकिशन पुत्र रामचन्द जाति जाटव निवासी जाटव बस्ती हिण्डौन– मृतक

2/1. प्रकाश चन्द पुत्र हरीकिशन जाति जाटव निवासी जाटव बस्ती हिण्डौन

2/2. सुफेदी देवी बेबा हरीकिशन जाति जाटव निवासी जाटव बस्ती हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ———————— वादीगण

बनाम

1. रामू पुत्र रामखिलाडी	सभी जातियान जाटव
2. कल्ला पुत्र रामखिलाडी	
3. महेन्द्र पुत्र भगवानसिंह	
4. विजय पुत्र सोनपाल	
5. खेमचन्द पुत्र गोविन्दा	निवासी जाटव बस्ती हिण्डौन
6. चन्द्रभान पुत्र गोविन्दा	
7. दीनदयाल पुत्र गोविन्दा	तहसील हिण्डौन
8. ओमप्रकाश पुत्र चिरमोली	
9. लक्ष्मी पुत्री चिरमोली	जिला करौली
10. सुगरबाई पत्नी रणजीत	
11. रूपन्ती पत्नी रणजीत	
12. रामदयाल पुत्र लक्ष्मण	

13. तहसीलदार तहसील हिण्डौन ———————— प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरारहक,
इन्द्राज दुरूस्ती तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :–1. श्री रामभरोसी गोयल एडवोकेट वादीगण

2. श्री महेश पण्डा एडवोकेट प्रतिवादी सं012

निर्णय

दिंनाक :– 06.01.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण ने दावा बाबत् इस्तकरार हक, इन्द्राज दुरूस्ती, तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वाद पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि साविक आराजी खसरा नम्बर 691/2 रकवा 4 बीघा 5 बिस्वा 693 रकवा 2 बीघा 8 बिस्वा, 4407 रकवा 2 बिस्वा 4408 रकवा एक बीघा, 4417 रकवा 1 बीघा 7 बिस्वा बाके कस्बा, हिण्डौन में थी जिसके सेटिलमेन्ट वालों ने नवीन खसरा नम्बरान 1147, 1150, 6842, 6844, 6845, 6846 बाके हिण्डौन में बनाये गये है।

वाद पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिका मद नम्बर 1 वादपत्र के प्रतिवादी नं. 1, 2 के बाबा हरफूल 1/3 हिस्से का प्रतिवादी नं. 3 ता 7 के बाबा एवं प्रतिवादी नम्बर 8, 9 के पिता चिरमोली 1/3 हिस्से का तथा रघुवर 1/3 हिस्सा के संयुक्त खातेदार काश्तकार थे।

वाद पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि उक्त खातेदार चिरमोली, हरफूल, रघुवर खास भाई थे तथा उन्होंने उक्त आराजीयात का बाहमी बंटवारा कर बंटवारा पत्र लिपिबद्ध कराकर सब रजिस्ट्रार, हिण्डौन से दिनांक 27.08.74 को पंजीकृत करा दिया तथा उक्त बंटवारा पत्र अनुसार प्रतिवादी नं. 1,2 के बाबा हरफूल के हिस्सा में साविक आराजीयात खसरा नम्बर 4407, 4408, 4417 बाके कस्बा, हिण्डौन आई जिस पर प्रतिवादी नं. 1, 2 के बाबा हरफूल काबिज हो गये।

वाद पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रतिवादी नं. 1, 2 के बाबा हरफूल ने आपसी बंटवारानामा पंजीकृत होने के बाद दिनांक 14.08.75 को उक्त बंटवारा पत्र दिनांक 27.04.74 से हिस्से में आई साविक खसरा नम्बर 4407,4408,4417 की सम्पूर्ण भूमि वादीगण से प्रतिफल लेकर वादीगण को विक्रय कर दी तथा वादीगण के हक में बयनामा सब रजिस्ट्रार हिण्डौन से दिनांक 14. 08.75 को ही नियमानुसार तस्दीक करा दिया तथा उक्त रजिस्टर्ड बयनामा के आधार से वादीगण के नाम नामान्तरण संख्या 2303 दिनांक 20.10.77 को तस्दीक हो गया तथा वादीगण आराजी साविक खसरा नम्बर 4407,4408,4417 बाके हिण्डौन के खातेदार काश्तकार हो गये। इस प्रकार साविक आराजी खसरा नम्बर 4407,4408,4417 बाके हिण्डौन के वादीगण जरिये रजिस्टर्ड बयनामा बोनाफाइड परचेजर विथ कन्सीड्रेशन है तथा मौके पर काबिज काश्त है।

वाद पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि दौराने सेटिलमन्ट मुताबिक मिलान क्षेत्रफल साविक खसरा नम्बर 4407,4408,4417 बाके हिण्डौन के नवीन खसरा नम्बर 6842 रकवा 2 ऐयर, 6844 रकवा 25 ऐयर, 6845 रकवा 14 ऐयर, 6846 रकवा 20 ऐयर बाके हिण्डौन बनाये गये लेकिन सेटिलमेन्ट कर्मचारीयों ने साविक इन्द्राज एवं रिकॉर्ड के विपरीत एवं बिना किसी आदेश के उक्त भूमि का परचा अन्य भूमि को शामिल कर एक ही परचा प्रतिवादी नं. 1, 2 के बाबा हरफूल एवं प्रतिवादी नं. 3 ता 9 के पूर्वज चिरमोली एवं उनके भाई रघुवर के लडके रामस्वरूप, जगदीश के नाम गलत तोर से बिना अधिकार जारी कर दिया जबकि रजिस्टर्ड बंटवारा पत्र दिनांक 27.04.74 के आधार पर से नामान्तरण संख्या 2302 दिनांक 20.10.77 को नियमानुसार प्रतिवादी नम्बर 1,2 के बाबा हरफूल के नाम तस्दीक कर खातेदारी हो गयी तथा रजिस्टर्ड बंटवारानामा दिनांक 27.04.74 के आधार से वादीगण के हक में दिनांक 18.04.75 को साविक खसरा नम्बर 4407, 4408, 4417 बाके हिण्डौन बयनामा पंजीकृत हो गया तथा वादीगण के नाम उक्त भूमि का नामान्तरण संख्या 2303 दिनांक 20.10.77 को नियमानुसार तस्दीक होकर खातेदारी हो गयी इसलिए सेटिलमेन्ट वालों ने जो हरफूल चिरमोली पि. मूला एवं रामस्वरूप, जगदीश पि. रघुवर के नाम शामिल में पर्चा जारी किया है वह

बिना अधिकार बिना किसी आदेश एवं पूर्व राजस्व रिकॉर्ड के विपरीत होने के कारण एवं एवनिसियों नल एण्ड बोइड है तथा बमुकावले वादीगण प्रभावहीन है।

वाद पत्र के मद नं0 6 में दर्ज किया है कि प्रतिवादी नम्बर 3 ता 9 के पिता चिरमोली का देहान्त करीब 25 साल पूर्व हो गया उसके लडके छाजू, सोहनलाल, गोविन्दा एवं लडकी सरस्वती का देहान्त हो गया ह ैअब चिरमोली के प्रतिवादी नं. 3 ता 9 ही वारिस है तथा प्रतिवादी नं. 1, 2 के बाबा हरफूल का करीब 20 साल पूर्व देहान्त हो गया उसके रामखिलाडी एवं भगवत दो लडके थे वह भी फौत हो गये उनके वारिसान प्रतिवादी नं. 1,2 ही है तथा रघुवर खातेदार फौत हो गये उसके लडके रामस्वरूप, जगदीश थे जिन्होंने अपने हिस्से की भूमि प्रतिवादी नं. 10, 11, 12 को बेचार कर दी तथा उनके स्थान पर प्रतिवादी नं. 10, 11, 12 के नाम खातेदारी हो गयी इस प्रकार प्रतिवादीगण मुकदमा नतीजा के मुश्तहक है।

वाद पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि प्रतिवादी नं. 1, 2 के बाबा एवं प्रतिवादी नं. 3 ता 9 एवं प्रतिवादी 10, 11, 12 के नाम जो वर्तमान में शामिल में राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज है वह सेटिलमेन्ट वालों द्वारा जारी गलत परचा के आधार से होने के कारण एवइनिसियो नल एण्ड बोइड है तथा बमुकावेल वादीगण प्रभावहीन है। प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के बाबा अपनी हिस्से की भूमि वादीगण को बेच चुके हैं। इसलिए वादीगण अपने नाम साविक खसरा नम्बर 4407, 4408, 4417 बाके हिण्डौन के नवीन खसरा नम्बर 6842, 6844, 6846 बाके हिण्डौन की अपने नाम खातेदारी कराने के अधिकारी है।

वाद पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि प्रतिवादी नम्बर 13 लैण्ड होल्डर है इसलिए प्रतिवादी बनाया है।

वाद पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि विनाय दावा दिनांक 31. 7.2012 को प्रतिवादीगण द्वारा विवादग्रस्त भूमि को बेचने, वादीगण को बेदखल करने की धमकी बमुकाम हिण्डौन देने पर तथा उसके बाद वादीगण द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की नकल लेने पर अन्दर हदूद आराजी अदालत वाला पैदा हुआ है तथा दावा हाजा अंदर मियाद पेश है।

वाद पत्र के मद नं010 में दर्ज किया है कि बलिहाज मालीयत मुकदमा एवं पैदा होने विनाय दावा एवं सकूनत फरीकेन अन्दर हदूद अदालत वाला अदालत हाजा को दावा हाजा सुनने का पूर्ण अधिकार है।

वाद पत्र के मद नं011 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतदाविया कृषि भूमि होने के कारण बिक्मुक्ता कोर्ट फीस 4/– पेश है।

वाद पत्र के मद नं012 क में दर्ज किया है कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बावत इस्तकरारहक डिक्री किया जाकर आराजी नवीन खसरा नम्बर 6842 रकवा 2 ऐयर, 6844 रकवा 25 ऐयर, 6845 रकवा 14 ऐयर, 6846 रकवा 20 ऐयर, बाके हिण्डौन का वादीगण के खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे तथा उक्त भूमि में हो रहे मृतक हरफूल एवं अन्य के नाम के इन्द्राजात को एवं इनिसियों नल एण्ड बोइड घोषित किया जाकर हजफ फरमाया जाकर इन्द्राज दुरूस्ती कराई जावे।

वाद पत्र के मद नं012 ख में दर्ज किया है कि अलटरनेटिव में दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिवीजन आफ होल्डिंग प्रीलिमरी डिक्री किया जाकर जरिये कमिश्नर मौके के कब्जा काश्त अनुसार बंटवारा सूची तलव की जाकर वादीगण के हक में आराजी खसरा नम्बर 6842, 6844, 6845, 6846 बाके हिण्डौन एवं प्रतिवादी नं. 3 ता 12 के हक में खसरा नम्बर 1147, 1150 बाके हिण्डौन बावत दावा फाईनली डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 6842, 6844, 6845, 6846 कुल किता 4 कुल रकवा 61 ऐयर बाके हिण्डौन की अलग खातेदारी किये जाने की आज्ञा फरमाई जावे।

वाद पत्र के मद नं012 ग में दर्ज किया है कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बावत स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वह आराजी खसरा नम्बर 1147, 1150, 6842, 6844, 6845, 6846 बाके हिण्डौन को किसी को रहन बय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तारित नहीं करे तथा वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 6842, 6844,

6845, 6846 बाके हिण्डौन को शान्ति पूर्वक काश्त करने देवे राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

वाद पत्र के मद नं012 घ में दर्ज किया है कि खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

वाद पत्र के मद नं012 ड. में दर्ज किया है कि अन्य कोई दादरसी जो करीने इंसाफ बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण साबित हो वह भी अता फरमाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 19.10.2012 को प्रतिवादी सं012 की ओर से श्री महेश पण्डा एडवोकेट ने उपस्थित होकर बकालतनामा पेश किया। दिनांक 14.09.2020 को प्रतिवादी सं0 1 ता 9 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। दिनांक 13.07.2021 को प्रतिवादी सं0 10,11,13 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। दिनांक 19.08.2016 को प्रतिवादी सं012 की ओर से श्री महेश पण्डा एडवोकेट ने उपस्थित होकर जबावदावा पेश कर जबावदावा के मद नं01 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं. 1 स्वीकार है।

जबावदावा के मद नं02 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं. 2 स्वीकार है।

जबावदावा के मद नं03 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं. 3 लाईल्मी अस्वीकार है। शेष जबाव उज्रात मजीद में दर्ज है।

जबावदावा के मद नं04 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं. 4 स्वीकार नहीं है. तथा प्रतिवादी नं. 12 का भूमि मुतजिक्रा मद नं. 1 वादपत्र में हिस्सा 1/6 भाग जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदशुदा भूमि है।

जबावदावा के मद नं05 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं. 5 स्वीकार नहीं है, तत्कालीन सेटिलमेन्ट विभाग ने सही पर्चा जारी कर खातेदारी दर्ज की है।

जबावदावा के मद नं06 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं. 6 इस तरमीम के साथ स्वीकार है कि पूर्व खातेदार जगदीश पुत्र रघुवर ने अपना हिस्सा 1/6 भाग जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.08.1997 मुबलिग 1,51,000/– रूपये में प्रतिवादी नं. 12 को विक्रय कर दीना, और विक्रेता जगदीश ने चुकती विक्रय धन राशि प्राप्त करके मौके पर प्रतिवादी नं. 12 का बाकई कब्जा विक्रित भूमि हिस्सा 1/6 पर उसी समय करा दीना, तथा वाद में जरिये नामान्तकरण संख्या 1796 दिनांक 01.05.2002 कस्बा हिण्डौन प्रतिवादी नं. 12 के नाम खुलकर खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गई, इस प्रकार खरीदशुदा भूमि हिस्सा 1/6 माग का प्रतिवादी नं. 12 रिकॉर्डेड खातेदार टीनेन्ट है।

जबावदावा के मद नं07 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं. 7 स्वीकार नहीं है। सेटिलमेन्ट विभाग ने सही पर्चा खाता खोला है. प्रतिवादी नं. 12 ने भूमि मुतजिक्रा मद नं. 1 वादपत्र में समस्त आराजीयात में हिस्सा 1/6 भाग जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जगदीश पुत्र रघुवर से खरीद किया है।

जबावदावा के मद नं08 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं. 8 स्वीकार है।

जबावदावा के मद नं09 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं. 9 कानूनी है, वादीगण ने कॉज ऑफ एक्शन गलत दर्ज किया है।

जबावदावा के मद नं010 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं0 10 कानूनी है।

जबावदावा के मद नं011 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं. 11 कानूनी है।

जबावदावा के मद नं012 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं. 12 स्वीकार नही है. वादीगण किसी भी प्रकार की दादरसी पाने का मुस्तहक नही है, वादीगण ने दावा हाजा में रिलीफ कतई गलत चाही है. इसलिये दावा वादीगण हर आईने में खारिज होने योग्य है।

उज्रात मजीद :–

जबावदावा के मद नं013 में दर्ज किया है कि प्रतिवादी नं. 12 रामदयाल पुत्र लक्ष्मण जाटव ने मुतजिक्रा मद नं. 1 वादपत्र में वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात के हिस्सा 1/6 भाग को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.08. 1997 को मुबलिग 1.51,000/– रूपये में जगदीश पुत्र रघुवर जाति जाटव निवासी जाटव बस्ती हिण्डौन से खरीद किया है, तथा प्रतिवादी नं0 12 खरीद के समय से ही मौके पर खरीदशुदा भूमि पर काबिज व दखिल है, तथा बदस्तूर आज तक कब्जा चला आ रहा है। तथा जरिये नामान्तकरण संख्या 1796 दिनांक 01.05.2002 के नामान्तकरण खुलकर राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी नं. 12 के नाम हिस्सा 1/6 भाग की खातेदारी दर्ज हो गई है. तथा वर्तमान में भी खरीदशुदा भूमि की खातेदारी प्रतिवादी नं. 12 के नाम दर्ज है इस प्रकार प्रतिवादी नं० 12 भूमि मुतजिक्रा मद नं. 1 वादपत्र में हिस्सा 1/6 भाग का रिकॉर्डेड खातेदार टीनेन्ट है।

जबावदावा के मद नं014 में दर्ज किया है कि वादीगण द्वारा वर्णित आराजीयात नवीन खसरा नम्बर 6842, 6844, 6845, 6846, बांके कस्बा हिण्डौन की समस्त आराजीयात वादीगण की होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, ना ही समस्त आराजीयात में मौके पर वादीगण का कब्जाकाश्त है, बल्कि समस्त आराजीयात में प्रतिवादी नं. 12 का हिस्सा 1/6 भाग खातेदारी में दर्ज है।

जबावदावा के मद नं015 में दर्ज किया है कि अल्टरनेटिव में समस्त भूमि मुतजिक्रा मद नं. 1 वादपत्र का विधिवत बटवारा कराया जाकर प्रतिवादी नं 12 का हिस्सा 1/6 भाग का अलग खाता व अलग लगान कायम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज की जावे।

अतः जबाव दावा पेश कर निवेदन किया है कि दावा वादीगण मय खर्चा खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करें।

वकील वादीगण ने दस्तावेजी सबूत में नकल रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 18.04.1975 उनवानी हरफूल पुत्र मूला जाति जाटव निवासी जाटव बस्ती

हिण्डौन – विक्रेता प्रथम पक्ष बहक हीरालाल हरकिशन पिसरान रामचन्द्र जाति जाटव निवासी जाटव बस्ती हिण्डौन –क्रेता द्वितीय पक्ष– प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी सं0 2033–36 प्रदर्श–2, नकल नामान्तकरण सं0 2302 नि0दिं0 20.10. 1977 प्रदर्श–3, नकल नामान्तकरण सं0 2303 नि0दिं0 20.10.1977 प्रदर्श–4, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–5, नकल जमाबन्दी सं0 2067–70 प्रदर्श–6, नकल जमाबन्दी सं0 2033–36 प्रदर्श–7 पेश किये हैं तथा जुवानी सहादत में वादी हीरालाल पुत्र रामचन्द जाति जाटव निवासी जाटव बस्ती हिण्डौन जिला करौली ने स्वंय का शपथ पत्र पेश कर बयान दर्ज कराये हैं।

इसके विपरीत वकील प्रतिवादी सं0 12 ने कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने दौराने बहस वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और वादीगण का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील प्रतिवादी सं012 ने दौराने बहस जबावदावा में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और वादीगण का दावा खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वादीगण ने दस्तावेजी सबूत में नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.04.1975 उनवानी हरफूल पुत्र मूला जाति जाटव निवासी जाटव बस्ती हिण्डौन – विक्रेता प्रथम पक्ष बहक हीरालाल हरकिशन पिसरान रामचन्द्र जाति जाटव निवासी जाटव बस्ती हिण्डौन –क्रेता द्वितीय पक्ष– प्रदर्श–1 के अनुसार भूमि साबिक खसरा नम्बर 4407 रकबा 2 बिस्वा, 4408 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 4417 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, वाके कस्बा हिण्डौन का बेचान किया गया है तथा विकीत भूमि पर कब्जा क्रेता को संमलाना अंकित किया है।

नकल जमाबन्दी सं0 2033–36 प्रदर्श–2 के अनुसार विवादित आराजी साबिक खसरा नं0 691/2 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा, 693 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, 4407 रकबा 2 बिस्वा, 4408 रकबा 1 बीघा, 4417 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा वाके कस्बा हिण्डौन तहसील

हिण्डौन की खातेदारी चिरमोली, हरफूल पि0 मूला हि0 2/3, रामस्वरूप जगदीश पि0 रघुवर हि0 1/3 जाति चमार निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल नामान्तकरण सं0 2302 नि0दिं0 20.10.1977 प्रदर्श–3 के अनुसार बंटवारानामा आज दिनांक 28.08.1974 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द सं0 34 कमांक 400 पृष्ठ सं0 29 से 30 पर पंजीबद्ध किया के आधार पर विवादित आराजी साबिक खसरा नं0 691/2 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा, 693 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, 4407 रकबा 2 बिस्वा, 4408 रकबा 1 बीघा, 4417 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन के के खातेदार चिरमोली हरफूल पि0 मूला हि0 2/3, रामस्वरूप जगदीश पि0 रघुवर हि0 1/3 जाति चमार नि0 ग्राम के स्थान पर साबिक खसरा नं0 4407 रकबा 2 बिस्वा, 4408 रकबा 1 बीघा, 4417 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा वाके कस्बा हिण्डौन की खातेदारी हरफूल पुत्र मूला जाति चमार निवासी ग्राम के नाम तथा साबिक खसरा नं0 691/2 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, 693 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा वाके कस्बा हिण्डौन की खातेदारी चिरमोली पुत्र मूला जाति चमार निवासी ग्राम के नाम तथा साबिक खसरा नं0 691/2 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, 693 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा वाके कस्बा हिण्डौन की खातेदारी रामस्वरूप जगदीश पि0 रघुवर जाति चमार हिस्सा बराबर निवासी ग्राम के नाम पटवारी हल्का के द्वारा भरा गया है तथा भू–अभिलेख निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि तुलना की अंकन सहीं है तथा उक्त नामान्तकरण को दिनांक 20.10.1977 को तहसीलदार हिण्डौन के द्वारा स्वीकृत किया गया है।

नकल नामान्तकरण सं0 2303 नि0दिं0 20.10.1977 प्रदर्श–4 के अनुसार विकय पत्र आज दिनांक 14.08.1975 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द सं0 41 कमांक 239 पृष्ठ सं0 1 लगायत 4 पर पंजीबद्ध किया गया के आधार पर विवादित आराजी साबिक खसरा नं0 4407 रकबा 2 बिस्वा, 4408 रकबा 1 बीघा, 4417 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा वाके कस्बा हिण्डौन के खातेदार हरफूल पुत्र मूला जाति चमार निवासी ग्राम के स्थान पर हीरालाल हरिकिशन पि0 रामचंद जाति चमार

हि0 बराबर निवासी ग्राम के नाम दिनांक 20.10.1977 को भरकर तहसीलदार हिण्डौन के द्वारा तस्दीक किया गया है।

नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–5 के अनुसार साबिक खसरा नम्बरान के दौराने सेटिलमेन्ट नवीन खसरा नम्बरान निम्नानुसार कायम किये गये हैं :–

साबिक खसरा नं0	रकबा	हाल खसरा नं0	रकबा हैक्टेयर में
693 691 मिन	2 बीघा 8 बिस्वा 4 बीघा 5 बिस्वा	1147	0.82
691 मिन	–	1150	0.85
4407	2 बिस्वा	6842	0.02
4408	1 बीघा	6844	0.25
4417 मिन	1 बीघा 7 बिस्वा	6845	0.14
4417 मिन	–	6846	0.20

नकल जमाबन्दी सं0 2067–70 प्रदर्श–6 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1147 रकबा 0.82 है0, 1150 रकबा 0.85 है0, 6842 रकबा 0.02 है0, 6844 रकबा 0.25 है0, 6845 रकबा 0.14 है0, 6846 रकबा 0.20 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 2.28 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी चिरमोली हरफूल पि0 मूला हि0 2/3, सुगरवाई व रूपन्ती पुत्रियॉ रणजीतसिंह हि0 1/6, रामदयाल पुत्र लक्ष्मण हि0 1/6 जाति जाटव नि0 ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 3836 दिनांक 13.06.2011 से ग्राम चिरमोली हि0 1/3 की विरासत छाजू सोनपाल गोविन्दा ओमप्रकाश पि0 चिरमौली , लक्ष्मी पुत्री चिरमोली बनैसिंह पुत्र सरस्वती हि0ब0 हि0 1/3 स्वीकार हुई दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2033–36 प्रदर्श–7 के अनुसार विवादित आराजी साबिक खसरा नं0 691/2 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा, 693 रकबा 2 बीघा

8 बिस्वा, 4407 रकबा 2 बिस्वा, 4408 रकबा 1 बीघा, 4417 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन के के खातेदार चिरमोली हरफूल पि0 मूला हि0 2/3, रामस्वरूप जगदीश पि0 रघुवर हि0 1/3 जाति चमार नि0 ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 2302 दिनांक 20.10.1977 के अनुसार साबिक खसरा नं0 4407 रकबा 2 बिस्वा, 4408 रकबा 1 बीघा, 4417 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा हरफूल पुत्र मूला जाति चमार के नाम स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है तथा साबिक खसरा नं0 691/2 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, 693 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा वाके कस्बा हिण्डौन की खातेदारी चिरमोली पुत्र मूला जाति चमार निवासी ग्राम के नाम तथा साबिक खसरा नं0 691/2 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, 693 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा वाके कस्बा हिण्डौन की खातेदारी रामस्वरूप जगदीश पि0 रघुवर जाति चमार हिस्सा बराबर निवासी ग्राम के नाम स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है तथा नोट नामान्तकरण सं0 2303 दिनांक 20.10.1977 के अनुसार साबिक खसरा नं0 4407 रकबा 2 बिस्वा, 4408 रकबा 1 बीघा, 4417 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा हरफूल पुत्र मूला के बजाय हीरालाल हरिकिशन पि0 रामचन्द जाति चमार बहिस्सा बराबर के नाम स्वीकार हुआ तथा नोट नामान्तकरण सं0 2365 दिनांक 18.07.1978 के द्वारा चिरमोली पुत्र मूला के बजाय खसरा नं0 691/2 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, 693 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा वाके कस्बा हिण्डौन की खातेदारी छाजूलाल गोविन्दा ओमप्रकाश पि0 चिरमोली हि0ब0हि0 3/4, अमरसिंह विजयसिंह नामसिंह पि0 सोनपाल हि0 1/4 जाति चमार के नाम स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.04.1975 उनवानी हरफूल पुत्र मूला जाति जाटव निवासी जाटव बस्ती हिण्डौन – विक्रेता प्रथम पक्ष बहक हीरालाल हरकिशन पिसरान रामचन्द्र जाति जाटव निवासी जाटव बस्ती हिण्डौन –क्रेता द्वितीय पक्ष– प्रदर्श–1 के अनुसार भूमि साबिक खसरा नम्बर 4407 रकबा 2 बिस्वा, 4408 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 4417 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, वाके कस्बा हिण्डौन का बेचान किया गया है जबकि विक्रेता प्रथम पक्ष दिनांक 18.4.1975 को विवादित आराजी साबिक

खसरा नम्बर 4407 रकबा 2 बिस्वा, 4408 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 4417 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, वाके कस्बा हिण्डौन के सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार काश्तकार नहीं था। बल्कि विकेता उक्त विवादित आराजीयात में सहखातेदार काश्तकार था। बंटवारा के आधार पर विकेता प्रथमपक्ष को अपने नाम पहले खातेदारी करानी चाहिए थी उसके उपरान्त ही बेचान किया जाना चाहिए था। इस प्रकार वादीगण उक्त विवादित आराजीयात की खातेदारी अधिकार रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.04.1975 के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। जब वादीगण उक्त विवादित आराजीयात की खातेदारी अपने हक में कराने के अधिकारी ही नहीं है तो तकास्मा कराने के भी अधिकारी साबित नहीं है और ना ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी हैं। ऐसे हालात में वादीगण का दावा बाबत् इस्तकरार हक, इन्द्राज दुरूस्ती, तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् इस्तकरार हक, इन्द्राज दुरूस्ती, तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा विवादित आराजी खसरा नम्बर 6842 रकबा 0.02 है0, 6844 रकबा 0.25 है0, 6845 रकबा 0.14 है0, 6846 रकबा 0.20 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 6/1/26
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली